संख्या–वे0आ0–2–1973 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में उद्योग विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा उद्योग विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) विभाग में पूर्व से विद्यमान शोध रसायनज्ञ के 01 पद तथा अन्य 90 पद कुल 91 अनुपयोगी/रिक्त पदों को समर्पित करते हुए ई0डी0पी0 संवर्ग में केवल वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–के जनपदीय एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों में एकल पद तथा मुख्यालय स्तर पर 05 पद निम्नानुसार सृजित किये जायें :–

क0 सं0	पदनाम/ पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या		
			वर्तमान में उपलब्ध पदों की संख्या	नव सृजित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
	जनपदीय कार्यालयों हेतु (72 जनपद)				
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	5200–20200/ ग्रेड वेतन रू0 2400/–	03	69	72

परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु (17 जनपद)					
2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	5200– 20200 / ग्रेड वेतन रू0 2400 / –	—	17	
मुख्यालय हेतु					
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	5200– 20200 / ग्रेड वेतन रू0 2400 / –	—	05	05
4	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी	5200– 20200 / ग्रेड वेतन रू0 2800 / –	—		
5	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी	9300– 34800 / ग्रेड वेतन रू0 4200 / –	—		
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड–2	9300– 34800 / ग्रेड वेतन रू0 4600 / –	—		

उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2058 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जाय।

(3) विभाग में प्रबन्धक एवं इससे उच्च पदों में तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के विभाजन को समाप्त कर दिया जाय।

(4) परिक्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक के 01 पद को आस्थगित करते हुए अपर निदेशक ग्रेड–1 पदनाम से 01 पद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900 में रखा जाय।

अपर निदेशक ग्रेड–1 के पद को 03 वर्ष की सेवा वाले विभागीय अपर निदेशक के पदों से पदोन्नति कर भरा जाय।

(5) उद्योग विभाग के प्रशिक्षक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हता एवं अनुभव तथा भर्ती का श्रोत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों के समान निर्धारित न होने एवं इन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण की मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की तुलना में कम होने के दृष्टिगत विभाग के प्रशिक्षक संवर्ग के पदों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

के प्रशिक्षक संवर्ग के पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना तथा पायलट वर्कशाप योजना के इन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण के अधिक उपयोगी एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध होने के दृष्टिगत विभाग के इन प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है। अतः प्रशिक्षण संवर्ग के इन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। इस संवर्ग में वर्तमान में कार्यरत पदधारकों द्वारा पद रिक्त किये जाने पर इन प्रशिक्षण केन्द्रों को समाप्त कर दिया जाय। उक्त संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के बावजूद वर्तमान पदधारकों के लिये उपलब्ध पदोन्नति के अवसर एवं नियमानुसार अनुमन्य अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ पूर्ववत देय रहेंगे।

(6) विभाग में उपलब्ध अन्य पदों के सम्बन्ध में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। अतः इनके सम्बन्ध में अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1973 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।